अधिक मिलिस्टेंट प्रथम सर्ग भारिक मिलिस्टेंट प्रथम सर्ग भारिक मिलिस्टेंट प्रथम सर्ग

28 Manzardia

नेशनल मेगा लोक अदालत दिनांक 11.02.17 में प्रस्तुत।

The security of

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अमरसिंह व रामकरन सहित एवं सेवाराम द्वारा अधिवक्ता श्री के0पी0 राठौर।

फरियादी दशरथ स्वयं उपस्थित।

फरियादी दशरथ की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत प्रारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान श्री राघवेन्द्रसिंह तोमर एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री के0पी0 राठौर ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादिवि० की धारा 294, 323 सहपिठत धारा 34 एवं 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्याय लय की अनुमित से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 सहपिटत धारा 34 एवं 506 भाग दो भा०द०विव के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है

J 2 12 al

Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बध्यत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

सदस्य

पीट्रासीम आधिकारी

लेटर रितता भिषद पार्पर